विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या-22 का उत्तर।</u>

<u>प्रश्न</u>	<u>उत्तर</u>
22 (क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड गोंदलामऊ, ग्राम पंचायत कोदिकापुर में बारातघर न होने से ग्रामीणों को कठिनाई को सामना करना पड़ता है?	ग्राम्य विकास विभाग में सामुदायिक विकास योजना अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर विकास भवनों एवं विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्डों के आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त मनरेगा योजना केन्द्र पुरोनिधानित है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य कराये जाते हैं। मनरेगा योजना के अन्तर्गत 264 अनुमन्य कार्यो की सूची में भी बारात घर का निर्माण शामिल नहीं है। इस प्रकार ग्राम्य विकास विभाग के स्तर से संचालित की जा रही योजनाओं में बारात घर का निर्माण कार्य सम्मिलित न होने के कारण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड गोंदलामऊ, ग्राम पंचायत कोदिकापुर में बारात घर का निर्माण कार्य ग्राम्य विकास विभाग से आच्छादित नहीं है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु बारातघर का निर्माण करायेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

(केशव प्रसाद मौर्य)
उप मुख्यमंत्री।